अति आवश्यक/सर्वोच्च प्राथमिकता/द्वारा फैक्स/ई-मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज-1

सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001 फोन/फैक्स 0532-2423660/2423659
ई-मेल पता : anubhagadhikari10phq@gmail.com सीयूजी-9454402010

संख्याःदस-51(पुलिस आरक्षी भर्ती-2018) दिनांकः जुलाई 08, 2019

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद
उत्तर प्रदेश।

विषय: आरक्षी नागरिक पुलिस एवं प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनॉकः15.05.2019 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श के दौरान निर्देशित किया गया कि आरक्षी-2018 की भर्ती की अद्यावधिक स्थिति के सम्बन्ध में चरित्र सत्यापन की कार्यवाही जिन जनपदों द्वारा अभी तक पूर्ण नहीं की गयी, उन्हें चिन्हित कर तत्काल चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर जे0टी0सी0 में प्रशिक्षण हेतु आवंटित संख्यानुसार रिकूट आरक्षियों को भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जे0टी0सी0 प्रशिक्षण के दौरान ही रिकूटों को वर्दी आइटमों को उपलब्ध करवाना सुनश्चित करें।

2- उक्त सम्बन्ध में समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को सम्बोधित एवं इस मुख्यालय को पृष्ठॉकित अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-डीजी-चार-120(11)2017(भर्ती पार्ट-III) दिनॉकः15.05.2019(छायाप्रति संलग्न) का भी अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गृह जनपद प्रभारी/जे0टी0सी0 जनपद प्रभारी द्वारा कतिपय विन्दुओं पर कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि **इस मुख्यालय के समॉक पत्र दिनॉक 19.03.2019, 16.04.2019 30.04.2019 एवं 18.05.2019 द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित किये गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में कतिपय विन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित करते हुए समस्त अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही यथा समय कराने का का अनुरोध किया गया है,** जिनका विवरण निम्नवत हैः-

(1) रिकूट आरक्षियों के जनपद में आगमन करने के पश्चात् उन्हें(01 माह) के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(2) रिकूट आरक्षियों के आगमन करने के पूर्व में ही प्रशिक्षण केन्द्र में एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जायेगी, जिसमें 01 सुयोग्य पुलिस कर्मी की नियुक्ति की जायेगी, जो रिकूट आरक्षियों के आगमन करने पर उनको उचित मार्गदर्शन करायेगा।

(3) आगमन के रिकूट आरक्षियों का नामिनल रोल फार्म भरवाये जायेगें, जिस पर नवीनतम् फोटो भी लगवाया जायेगा। एवं सत्यापन से सम्बन्धित आधार कार्ड/अन्य आईडी भी प्राप्त कर लिया जाये।

(4) आगमन के समय ही भोजन व्यवस्था हेतु प्रत्येक रिकूट से पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ द्वारा निर्धारित मेस एडवांस जमा कराया जायेगा। तथा गहन प्रशिक्षण में भेजे जाते समय भोजन व्यय काटकर शेष धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी। समस्त रिकूट आरक्षियों को पुलिस लाइन के अन्दर उनके लिये निर्धारित भोजनालय में ही भोजन करना अनिवार्य होगा।

(5) समस्त रिकूट आरक्षियों के आगमन के अगले दिन रिकूटों की 01 जीरो परेड करायी जायेगी, जिसमें उन्हें पुलिस लाइन का पूर्ण भ्रमण कराया जायेगा तथा जनपद के मुख्यालय में नियुक्त समस्त पुलिस तथा अन्य विभागों के बारे में जानकारी कराई जायेगी।

(6) जनपदीय पुलिस अधीक्षक रिकूटों को वर्दी की वे वस्तुएं उपलब्ध करायेगें, जिनकी आपूर्ति पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाती है। उसके अतिरिक्त जो वर्दी /सामग्री जनपद स्तर से क्रय करके उपलब्ध कराई जाती है वह भी उपलब्ध करा दी जायेगी। वर्दी के साथ ही सभी रिकूट के किट कार्ड बनवा दिये जाये।

2/-

(7) जनपद पुलिस अधीक्षक सभी रिक्रूटों की चरित्र पंजिका भी तैयार करायेगें।

(8) प्रारम्भिक प्रशिक्षण की अवधि रिक्रूटों को विशेष रूप से वर्दी का रख रखाव तथा उसको पहनना, वर्दी तथा सादे कपड़ें में अधिकारियों का अभिवादन करना सावधान एवं विश्राम बनाना पुलिस अधिकारियों के रैंक एवं अलंकारों का ज्ञान परेड ग्राउण्ड गणना स्थल, भोजनालय एवं बैरक आवास के अनुशासन का विधिवत ज्ञान कराया जायेगा।

(9) जिला पुलिस प्रभारी जे0टी0सी0 प्रगति पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो युक्त परिचय पत्र तैयार कराकर रिक्रूट आरक्षियों के साथ ही सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाओं को सीधे भेजेगें। परिचय पत्र संस्था द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को वितरित किये जायेगें।

(10) पुलिस अधीक्षक प्रति सप्ताह कम से कम 01 बार इन रिक्रूट आरक्षियों से साक्षात्कार करेगें।

(11) जे0टी0सी0 के मध्य प्रत्येक रिक्रूट आरक्षी(पुरुष/महिला) की निर्धारित वर्दी तैयार करायेगें।

(12) परिचय पत्र बनवाना, बैंक खाता खोलवाना, पीएनओ आवंटन कराना, नेम प्लेट बनवाने का कार्य पुलिस अधीक्षक द्वारा आर0टी0सी0 में भेजने से पूर्व पूर्ण कराया जायेगा।

(13) एन0पी0एस0(न्यू पेंशन स्कीम) से सम्बन्धित प्रशिक्षुओं के समस्त अभिलेख एवं सेवा अभिलेख आर0टी0सी0 में भेजने से पूर्व तैयार कराना।

(14) रिक्रूट आरक्षियों का प्रान नम्बर(**PRAN NUMBER**) आवंटन आदि की कार्यवाही पूर्ण कराना।

(15) जिन रिक्रूट आरक्षी (पुरूष एवं महिला) के पास आधार कार्ड/पैन कार्ड नहीं उन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड/पैन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवा लिया जाय।

(16) चयनित रिक्रूट आरक्षी (पुरूष एवं महिला) यदि कम्प्यूटर/चार पहिया वाहन चलाने की जानकारी रखता हो तो उससे कम्प्यूटर संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण एवं वैध ड्राविंग लाइसेन्स की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उनके सेवा अभिलेखों के साथ रखते हुए सेवा अभिलेखों में उसका अंकन भी किया जाय।

(17) चयनित रिक्रूट आरक्षी (पुरुष एवं महिला) के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व अग्रसारित की जाने वाली आख्या को कार्यालय/जनपदीय नोडल अधिकारी प्रमाणित करेगें।

2— अतः निदेशानुसार पुनः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त विन्दुओं के साथ—साथ अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या—डीजी—चार—120(11)2017 (भर्ती पार्ट—।।।) दिनॉकः15.05.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में समस्त अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही यथा समय कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक—यथोपरि।</u>

(सुधीर कुमार सिंह)
पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना
नि0पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

अति आवश्यक/सर्वोच्च प्राथमिकता/द्वारा फैक्स/ई—मेल

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, **मुख्यालय उ0प्र0पुलिस तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि** कृपया उक्त पत्र को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइड **uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित(**UP-lod**) कराने की कृपा करें, ताकि सर्व सम्बन्धित को आसानी से इसकी सूचना प्राप्त हो सके।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक,स्थापना,उ0प्र0लखनऊ को उनके पत्र संख्या—डीजी—चार—120(11)2017(भर्ती पार्ट—।।।) दिनॉकः15.05.2019 के सन्दर्भ में।

2— अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।

3—समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः—समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया समय—समय पर अपने अधीनस्थ जनपदों में चल रही जे0टी0सी0 का पर्यवेक्षण करते हुए निदेशानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।